न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 2006 / 2075 / राजसमंद

1. गणेश लाल पुत्र सुधा
2. कनीराम पुत्र सुधा
3. मांगू पुत्र सुधा
4. नाना पुत्र रूपा
5. भोलीराम पुत्र रूपा

समस्त जाति गुर्जर निवासी बडीयार, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

....**अपीलांटस**

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र गोदा (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/1 कनीराम पुत्र स्व. भवंरलाल गुर्जर

1/2 लच्छुराम पुत्र स्व. भवंरलाल गुर्जर

दोनो निवासी बडीयार तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/3 श्रीमती गणेशबाई पत्नि देवीलाल गुर्जर निवासी मीरा का खेडा तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/4 श्रीमती चवाली पत्नि परशराम गुर्जर निवासी श्रीमल तहसील मावली जिला उदयपुर।

....**वादीगण / रेस्पोन्डेन्ट्स**

2. भूरा पुत्र हमेरा लौहार निवासी मोगाणा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. रूपा पुत्र नाथू लौहार
4. किशन पुत्र नाथू लौहार
5. रूपा पुत्र हीरा गुर्जर
6. डालचंद पुत्र हीरा गुर्जर
7. कन्ना पुत्र हीरा गुर्जर

समस्त निवासी मोगाणा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

8. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि लक्ष्मण
9. रामा पुत्र हीरा गुर्जर

दोनो निवासी मोगाना, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

10. श्रीमती गंगा पत्नि कना, जाति गुर्जर निवासी सांगरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
11. श्रीमती मथुरा बाई पत्नि बखतावर जाति गुर्जर निवासी रूपावली तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

12. श्रीमती राधा पत्नि मोहन गुर्जर निवासी बडियार तहसील मावली जिला उदयपुर।
13. भंवरिया पुत्र पैका (मृतक) जरिये वारिसानः–
    13/1 रूपी पत्नि भवंरिया गुर्जर
    13/2 मोहन पुत्र भवंरिया गुर्जर
    निवासी ग्राम दाया, तहसील मावली, जिला उदयपुर
14. श्रीमती कंकू पत्नि गोयना (मृतक) जरिये वारिसानः–
    14/1 सवराम पुत्र गोयना, निवासी ग्राम दाया तहसील मावली जिला उदयपुर।
15. हरलाल पुत्र पैफा
16. लालू पुत्र तुल्छा
    दोनो जाति गुर्जर निवासी बडियार तहसील मावली जिला उदयपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार।

प्रतिवादीगण / रेस्पोन्डेन्ट्स

(2) **<u>अपील डिक्री / टी.ए. / 2006 / 2119 / राजसमंद</u>**

1. गणेश लाल पुत्र सुधा
2. कनीराम पुत्र सुधा
3. मांगू पुत्र सुधा
4. नाना पुत्र रूपा
5. भोलीराम पुत्र रूपा
   समस्त जाति गुर्जर निवासी बडीयार, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

....वादीगण / अपीलांटस

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र गोदा (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1 कनीराम पुत्र स्व. भवंरलाल गुर्जर
   1/2 लच्छुराम पुत्र स्व. भवंरलाल गुर्जर
   दोनो निवासी बडीयार तहसील मावली जिला उदयपुर।
   1/3 श्रीमती गणेशबाई पत्नि देवीलाल गुर्जर निवासी मीरा का खेडा तहसील मावली जिला उदयपुर।
   1/4 श्रीमती चवाली पत्नि परशराम गुर्जर निवासी श्रीमल तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. भूरा पुत्र हमेरा लौहार निवासी मोगाणा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. नाथू पुत्र भैरा जाति लौहार के बजाएः–

3/1 रूपा पुत्र नाथू जाति लौहार
3/2 किशन पुत्र नाथू जाति लौहार
निवासी मोगाणा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

प्रतिवादीगण / रेस्पोन्डेन्ट्स

4. देवीलाल पुत्र दौला गुर्जर
5. मदन पुत्र गणेश पुत्र दौलात नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुन्दर बाई बेवा गणेश जी गुर्जर।
6. हमेरा पुत्र सुडा जाति गुर्जर (मृतक) जरिये वारिसानः–
6/1 चिमनलाल पुत्र हमेरा निवासी बडीयार तहसील मावली जिला उदयपुर।
6/2 गणेशी पुत्री हमेरा पत्नि भभूतलाल निवासी गांव खेडी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
7. मु. सुन्दर बाई बेवा गणेश जी निवासी बडियार तहसील मावली जिला उदयपुर।

वादीगण / रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थित :–
श्री पी.एस. दशोरा, अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

निर्णय

दिनांक :– 16 जनवरी, 2020

1– यह दोनों अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील संख्या–37/2001 एवं 39/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–2–2006 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2– दोनों प्रकरणों के पक्षकार, तथ्य एवं कानूनी बिन्दू एक समान होने के कारण इनकी बहस एक साथ सुनी गयी एवं इनका निस्तारण भी एक

ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है, निर्णयों की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3— अपील संख्या 2006 / 2075 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पो0 संख्या 1 भंवरलाल ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा के समक्ष राजस्व वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मोगाना तहसील नाथद्वारा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1824 से 1831 कुल किता 8 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हमेरा व नाथू उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 745 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा थी। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी भंवरलाल को दिनांक 3.11.1973 को 3500 /— में विक्रय कर दी तथा कब्जा वादी को दे दिया तब से उक्त भूमि पर वादी काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 15 तहसीलदार नाथद्वारा ने दिनांक 13.2.1963 को नामान्तरकरण संख्या 315 प्रतिवादी संख्या 3 हीरा के नाम खोल दिया। जबकि इस प्रकार नामान्तरकरण खोलने का कोई हक अधिकार नहीं था। उक्त नामान्तरकरण गलत है इसलिए तहसीलदार को भी पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 14 का विवादित भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं रहा है लेकिन बिना स्वत्व अधिकार के दिनांक 19.6.1974 को विवादित आराजी पर मक्की व कपास की फसल बो दी तथा अतिक्रमण कर लिया तथा जबरदस्ती प्रवेश करने लगे तथा वादी के मना करने पर धमकी दी तथा वादी को नुकसान पहुंचाने पर आमदा हैं। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह विवादित कृषि भूमि पर अतिक्रमण न करें, न जबरन प्रवेश करें तथा किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण अतिक्रमण कर लें तो कब्जा पुनः वापस वादीगण को दिलाया जावे।

4— उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 से 14

की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के तथ्यों को अस्वीकार किया तथा बताया है कि आराजी खसरा नम्बर 745/35 प्रतिवादी संख्या 3 हीरा ने ठिकाना नाथद्वारा से बजरिये पट्टा दिनांक 28–4–1958 को क्रय किया, तब से उसी का कब्जा चला आ रहा है तथा सेटलमेन्ट में जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम का अंकन है, वह गलत है जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 3 ने सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के यहां कार्यवाही की जिसमें दिनांक 26–8–1971 को प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में आदेश दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 का कब्जा 28–4–1958 से निरन्तर चला आ रहा है और प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 6 से 8 व 10, 11 को कर दिया और तब से अर्थात दिनांक 15–6–1974 से प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8, 10, 11 व मांगू पुत्र सुखा व दौला पुत्र सुडा का कब्जा चला आ रहा है। वादी का कभी कब्जा नहीं रहा है। अतः वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा ने वाद जवाबदावा के आधार पर इस प्रकरण में कुल 9 विवाद्यक बिन्दु बनाये व उनकी विवेचना करते हुए वाद वादी खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी व पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष रेस्पोडन्ट संख्या 1/वादी ने प्रथम अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–2–2006 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–12–2000 को निरस्त कर दिया तथा अपीलान्ट का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1824 से 1831 कुल किता 8 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम मोगाना का खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं करें न औरों से करावें।

5– अपील संख्या 2006/2119 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलांट्स एवं वादीगण/रेस्पोडेंटस दौला व हमेरा ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेंट न्यायालय उप जिलाधीश, गिर्वा

उदयपुर के समक्ष बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि मौजा मोगाना तहसील नाथद्वारा में स्थित आराजी खसरा नंबरा 745 में से 35 बीघा भूमि हीरा पिता सवा गुर्जर को महाराजाधिराज गोस्वामी तिलकायत् श्री गोविन्दलाल पिता दामोदरलाल ने जरिये पट्टा 568 दिनांक 28–4–58 को 469 / – रूपये में विक्रय कर दी और तब से इस भूमि पर हीरा क्रेता का आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त भूमि मिसल संख्या 268 / 69 में कार्यवाही होकर दिनांक 27–8–69 को तहसीलदार, नाथद्वारा ने हीरा पिता सवा गुर्जर के नाम दर्ज करने के आदेश कर दिये, जिसकी प्रविष्टि उसके नाम जमाबंदी में दर्ज हुआ। लेकिन हाल पैमाईश में साबिक खसरा नंबर 745 के हाल आराजी नंबर 1824 से 1831 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि हमेरा पुत्र नवला एवं नाथू पुत्र भैरा के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई। जिस पर हीरा पुत्र सवा ने सहायक भू प्रबंध अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र उज्रदारी प्रस्तुत किया जो मिसल संख्या 129 / 71 पर दर्ज की गई एवं सहायक भू प्रबंध अधिकारी, उदयपुर ने अपने आदेश दिनांक 27–9–92 के द्वारा पुनः उक्त आराजियात श्री हीरा पुत्र सवा के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। तत्पश्चात् हीरा पुत्र सवा ने उक्त भूमि दिनांक 15–6–75 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा वादीगण / अपीलांट्स संख्या 1, 2 व 3 को विक्रय कर दी। और आराजी चाह नंबर 1826 नवा कुडा भी वादीगण / अपीलांट्स को विक्रय पत्र रूपये 5000 / – में विक्रय कर दी तथा वादीगण / अपीलांट्स को कब्जा दे दिया, तभी से वादीगण / अपीलांट्स उक्त भूमि पर बतौर काश्तकार खातेदार चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण ने दिनांक 28–6–74 को वादीगण को उक्त आराजीयात में फसल नहीं बोने तथा मारपीट करने की धमकी दी। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है। दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त आराजियात पर कब्जा कर लेवें तो कब्जा पुनः वादीगण को वापस दिलाया जावें।

6— उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के तथ्यों को अस्वीकार किया तथा बताया है कि उक्त आराजियात पर वादीगण का कब्जा न होकर प्रतिवादीगण का कब्जा है तथा विशेष कथन में बताया कि उक्त भूमि के खातेदार हमेरा पिता नवला व नाथू पिता भैरा ने उक्त भूमि प्रतिवादी/रेस्पो0 भंवरलाल पिता गोदा गुर्जर को दिनांक 3—11—1973 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर कब्जा दे दिया है और तब से विवादित आराजी पर भंवरलाल का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा ने वाद जवाबदावा व दोनों पक्षों की साक्ष्य को मध्यनजर रखते हुए इस प्रकरण में तनकीयां तय कर व उनकी विवेचना करते हुए वाद वादी खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी व पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष रेस्पोडन्ट संख्या 1/वादी ने प्रथम अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27—2—2006 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26—12—2000 को निरस्त कर दिया तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1824 से 1831 कुल किता 8 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम मोगाना का खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं करे न ओरों से करावें। जिससे व्यथित होकर दोनो द्वितीय अपीलें राजस्व मण्डल में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

6— बहस उभय पक्ष सुनी गई।

7— विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि विद्वान भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पूर्णतया विधि विरूद्ध, नियम एवं कार्यवाही मिसल के विरुद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष वादी–रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र को मौजूदा अपील के निर्णय के साथ ही निर्णित कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज निर्णय दिनांक 5–1–1996 को रेकार्ड पर लिया परन्तु प्रतिवादी/अपीलान्ट को रिबटल का कोई अवसर प्रदान नहीं कर निर्णय जैर अपील पारित करने में गलती की है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज कर दिया कि तनकी संख्या 1 का निर्णय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को सिद्ध करना था कि वाद पत्र की कालम सं. 1 से वर्णित आराजी कुल किता 8 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 745 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा होकर साबिक रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 खातेदार दर्ज थे तथा बन्दोबस्त में भी दर्ज हुए। इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा मौखिक साक्ष्य के अलावा प्रदर्श पी–1 खाता संख्या 2021 से 2024, एक्जीबिट पी–3 पानडी, पी–4 जमाबन्दी संख्या 2032 से 2035, पी–11 विद्वान उपखण्ड अधिकारी के नामान्तरकरण की अपील का निर्णय दिनांक 8–1–1981 को प्रस्तुत किया। उपरोक्त दस्तावेज से यह सिद्ध होता है कि साबिक खसरा नम्बर 745 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा पूर्व से हमेरा एवं नाथू के नाम दर्ज हो गयी थी। तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी–रेस्पो0 संख्या 1 के हक में पारित कर अपने में निहित क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी ने तनकी संख्या 2 का निर्णय वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के हक में पारित कर अपने में निहित क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया। जबकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 के निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि जब नाथू एवं हमेरा का कोई स्वत्व विवादित भूमि पर नहीं है, तो उनके द्वारा क्रेता वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं इसी आधार पर तनकी संख्या 2 एवं 3 का निर्णय परीक्षण न्यायालय ने

वादी / रेस्पो0 के विरूद्ध पारित किया था किन्तु विद्वान राजस्व अपील अधिकारी ने तनकी संख्या 2 व 3 को वादी के हक में निर्णित कर अपने क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया है। इसी प्रकार अन्य तनकीयात बाबत भी न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने रिकार्ड से परे जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किए है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकार एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27–2–2006 को निरस्त किया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–12–2001 को यथावत रखा जावे।

8– उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस ने कथन किया कि अपीलान्ट ने अपने साक्ष्य के द्वारा यह सिद्ध नहीं किया कि विवादित भूमि के विक्रय के समय विक्रेता खातेदार थे अथवा नहीं। वादग्रस्त भूमि हमारी खातेदारी की है इसलिए हमेरा व नाथू को इस भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 19.09.1971 से हमेरा वादग्रस्त आराजी का खातेदार नहीं रहा है। हमने हीरा जी से भूमि क्रय की है और क्रय की दिनांक से लगातार हमारा कब्जा चला आ रहा है। इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से यह दोनो अपीलें खारिज योग्य है। अतः दोनों अपीलें खारिज की जावे।

9– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

10– प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा (राजसमन्द) द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 26–12–2000 से वाद ठोस सबूत के अभाव में खारिज किया गया है। जबकि भू–प्रबंध अधिकारी एवं

पदेन जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने अपने निर्णय व डिक्री 27–02–2006 द्वारा नवीन 9 तनकियात कायम कर उनकी विस्तृत रूप से विवेचना कर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को खारिज किया है।

11– पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2021 से 24 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 745 हमेरा पिता नवला व नाथू पिता भेरा के नाम खातेदारी में दर्ज है। इस जमाबंदी के विवरण के कालम में नामांतरकरण संख्या 315 से विवादित भूमि हीरा पिता सवा के नाम दर्ज करने की मंजूरी हुई है। जबकि खातेदार के कॉलम में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (हमेरा व नाथू) के नाम खातेदारी दर्ज है। इससे एक तरफ यह तो सिद्ध हो जाता है कि जमाबंदी संवत 2021 से 2024 अर्थात वर्ष 1964 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम विवादित आराजी की खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी। पर्चा लगान की रसीद, जो कि संवत 2025, 2026 व 2027 की है के अवलोकन से भी यह सिद्ध है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का विवादित भूमि पर कब्जा था।

12– हीरा के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 315 दिनांक 13–02–73 खोला गया है। उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी संख्या 140 / 93 प्रस्तुत की गई थी जिसमें मण्डल की एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 05–01–96 द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए खारिज किया है कि जब तक पक्षकारान के बीच विचाराधीन घोषणा के दावे का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता तब तक विवादित आराजी के सबंध में नामांतरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जावे। इसी निर्णय में तहसीलदार के आदेश दिनांक 09–01–1990 जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में नामांतरकरण खोला जाना निर्देशित किया गया था, उसे भी निरस्त किया है। इस प्रकार मण्डल ने भी प्रकरण की वस्तुस्थिति एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन कर यह पाया है कि हीरा के पक्ष में जो

नामांतरकरण खोला गया है वह उचित नहीं है इसलिए नामांतरकरण की कार्यवाही को स्थगित किया है।

14– पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2029 व 2030 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 745 / 55 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा हमेरा पिता नवला व नाथू पिता भेरा के खातेदारी में दर्ज थी। प्रतिवादी हीरा पिता सेवा की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 745 / 27 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा थी तथा एक अन्य भूमि खसरा नंबरा 745 / 20 जमना प्रसाद के नाम खातेदारी में दर्ज थी। इससे यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 745 के कई खसरा नंबर बने। जबकि जो पट्टा सवा के नाम प्रस्तुत किया है जो प्रदर्श–3 है जिसमें मोगा स्थित खसरा नंबर 745 मीन में से 35 बीघा भूमि श्री कृष्ण भण्डार संख्या 273 दिनांक 25–03–58 द्वारा 749 /– रूपये में बापी पट्टे में दी गई थी। उक्त 745 मी. की भूमि में क्या 745 / 55 की भूमि भी शामिल थी। इस तथ्य को तहसीलदार ने साबित नहीं किया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम की खातेदारी की भूमि को पट्टे वाली भूमि माना जाना उचित नहीं है। अतः नामांतरकरण संख्या 15 जो प्रतिवादी हीरा के पक्ष में खोला गया है, बिना विधिवत जांच किये खोला गया है। भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान स्वत्व अधिकारों में परिवर्तन, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हमेरा व नाथू के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 हीरा के पक्ष में किया गया है, वह क्षेत्राधिकार से बाहर होने के निरस्त किये जाने योग्य है।

15– अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के तहत् जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, दस्तावेज निर्णय की प्रति है, जिसके औपचारिक सबूत की आवश्यकता नहीं है और उक्त दस्तावेजात के खण्डन में अपीलार्थी को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना होता तो प्रार्थना पत्र के जवाब के साथ ऐसा

दस्तावेज प्रस्तुत करने का उसे अवसर प्राप्त था किन्तु उसकी ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16— अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों प्रथम अपीलों में आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 27—02—2006 पारित करने में ऐसी कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं की है जिसमें द्वितीय अपीलों के जरिये हस्तक्षेप किया जा सके। अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

17— परिणामतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दोनों द्वितीय अपीलें खारिज की जाती है तथा न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रथम अपील संख्या 39 / 2001 एवं 37 / 2001 में पृथक्—पृथक् पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27—02—2006 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य